सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 29, सोमवार, शाके 1943-सितम्बर 20, 2021 *Bhadra 29, Monday, Saka 1943- September 20, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2021

जी.एस.आर.337 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2**. संशोधन.**- नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान परन्तुक या, यथास्थिति, उप-नियम के पश्चात, स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित नियम का नया परन्तुक या, यथास्थिति, उप-नियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"सेवा का कोई भी सदस्य जिसे वरिष्ठ वेतनमान पद पर नियुक्त नहीं किया गया हो और जिसने सेवा के किसी सदस्य के रूप में कुल मिलाकर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो, चयन वेतनमान पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।"

अनुसूची

क्रम सं.	सेवा नियम का नाम	विद्यमान परन्तुक / उप-नियम का संख्यांक	नये परन्तुक / उप-नियम का संख्यांक
1	2	3	4
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954	नियम 32 के उप-नियम (2) का परन्तुक (2)	नियम 32 के उप-नियम(2) का परन्तुक (2क)
2	राजस्थान पुलिस सेवा नियम,	नियम 32 का उप-नियम(2)	नियम 32 का उप-नियम

	1954		(2क)

3. संशोधन.- राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के उप-नियम (2) के विद्यमान परन्तुक (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"यह कि सेवा का कोई भी सदस्य जिसने साधारण वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो, वरिष्ठ वेतनमान पद पर ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा तथा सेवा का कोई भी सदस्य जिसे वरिष्ठ वेतनमान पद पर नियुक्त नहीं किया गया हो और जिसने सेवा के सदस्य के रूप में कुल मिलाकर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो, चयन वेतनमान पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।"

4. संशोधन.- राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष 'चयन वेतनमान' के अधीन क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"सेवा का सदस्य जिसे उप वन संरक्षक (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में नियुक्त किया गया हो और जिसने कुल मिलाकर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।"

[सं. एफ.1(20) डीओपी/ ए-II/84]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-II
NOTIFICATION
Jaipur, September 15, 2021

G.S.R.337 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service Rules (Second Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment.** - After the existing proviso/sub-rule, as the case may be, of the rule as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule given below, the following new proviso/sub-rule, as the case may be, of the rule as mentioned in column number 4 shall be inserted, namely :-

"No member of the service who has not been appointed on senior scale post and not completed 10 years' service in all as a member of the service shall be eligible for appointment on the selection scale post."

SCHEDULE

S.No.	Name of the service rules	No. of existing proviso/ sub-rule	No. of new proviso/sub-rule
1	**2**	**3**	**4**
1.	The Rajasthan Administrative Service Rules, 1954	proviso (2) to sub-rule (2) of rule 32	proviso (2A) to sub-rule (2) of rule 32
2.	The Rajasthan Police Service	sub-rule (2) of rule 32	sub-rule (2A) of rule

	Rules, 1954		32

3. **Amendment-** The existing proviso (i) to sub- rule (2) of rule 31 of the Rajasthan Accounts Service Rules, 1954 shall be substituted by the following, namely :-

"that no member of the service who has not completed 5 years' service in ordinary scale shall be eligible to such appointment on senior scale post and no member of the service who has not been appointed on senior scale post and not completed 10 years' service in all as a member of the service shall be eligible for appointment on the selection scale post."

4. **Amendment-** In Schedule-I appended to the Rajasthan Foreset Service Rules, 1962 the existing entries of column number 6 against serial number 3 under the head SELECTION SCALE shall be substituted by the following, namely :-

" Member of the service who has been appointed as Deputy Conservator of Forest (Senior Scale) and completed 10 years service in all."

[No. F 1(20) DOP/A-II/ 84]
By Order and in the name of the Governor,

DR. MUKUT BIHARI JANGID,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।